

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### षष्टम् सत्र

सोमवार, 19 अगस्त, 2019/28 श्रावण, 1941 (शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

#### 1. शोकोद्गार:

स्वर्गीय पंडित शिव लाल, चौधरी विद्या सागर व श्री शिव कुमार उपमन्यु, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

#### 2. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

##### (2) अतारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

#### 3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, सोमवार, 19 अगस्त, 2019 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

#### 4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

- (1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 4);

- (2) हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 5);
- (3) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 6);
- (4) हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 7);
- (5) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 8); और
- (6) हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 9) ।

## 5. अध्यादेश:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 08.08.2019 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चत मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

## 6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) श्री विक्रमादित्य सिंह</li> <li>(2) श्री अनिरुद्ध सिंह</li> </ol> | } | प्रस्ताव करेंगे कि: |
|--|---|---------------------|

शिमला शहर के उप-नगरों खलीणी, विकासनगर, टुटू, संजौली, न्यू शिमला, भट्टाकुफर, ढली व कसुम्पटी आदि क्षेत्रों में पार्किंग व अवैध पार्किंग की समस्या से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर शहरी विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री राकेश जम्वाल, प्रस्ताव करेंगे कि:

"जल परिवहन नीति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004  
दिनांक: 17 अगस्त, 2019

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)